

प्रेषक,

सुनील कुमार चौहान,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक 05 दिसम्बर, 2024

विषय: यूपीनेडा के केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम प्रशासनिक व्यय (गैर वेतन) की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में मद संख्या-20(गैर वेतन) मद की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4513/नेडा-ए-आयोजनेत्तर बजट अनुमान/ 2024-25, दिनांक 09 नवम्बर, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम अभिकरण के प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु मद संख्या-20 में प्राविधानित धनराशि ₹0 3,00,48,000.00/- (रूपये तीन करोड़ अड़तालीस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष बची सम्पूर्ण धनराशि 1,00,16,000.00 (रूपये एक करोड़ सोलह हजार मात्र) तृतीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

#### नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- 1- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाये। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 3- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये।
- 4- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
- 5- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/ पी0ओ0एल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं0-वि0वि0-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 द्वारा तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,16,000 (रुपये एक करोड़ सोलह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810021010303 केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-83-X-2024-25-दिनांक:2-12-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार चौहान  
अनु सचिव

संख्या-60/2024/1564(1)/003-87-01099-2-2022दम्, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
- (3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (6) निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, प्रयागराज।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार चौहान  
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।